आजादी का अमृत महोत्सव

जन आधार

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक एफ 17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो/प्र.प्र./2020/283 दिनांकः 20-02-2024

उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः– जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से दिये गये लाभों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशासनिक प्रतिवेदन मुद्रण करवाने के संबंध में।

संदर्भः– प्रमुख शासन सचिव तथा पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का पत्र क्रमांक एफ17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो./प्र.प्र./2020/133, दिनांक–30.01.2024

जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 01.07.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि का जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से हस्तांतरित लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम पंचायतवार/वार्ड वार जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड करा दिये गये है। आगामी प्रत्येक ग्राम सभा और प्रत्येक नगर निकाय की वार्ड समिति में संबंधित प्रतिवेदन को सामाजिक अंकेक्षण हेतु रखा जाना है।

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो/प्र.प्र./2020/1900 दिनांकः 24.12.2021 के बिन्दु संख्या 11 के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर निकाय में 5 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व की बकाया एवं आगामी आयोजित होने वाली सभी ग्राम सभाओं एवं वार्ड समितियों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राधिकरण के मुद्रण व्यय बजट मद से नियमानुसार मुद्रित करवाकर दिनांक 26.02.2024 तक वास्तविक व्यय से अवगत करवायें। इस संबंध में श्रीमान अति. मुख्य सचिव, वित्त द्वारा जारी अ.शा.टीप सं. एफ.10 (41) वित्त/व्यय–4/2022 दिनांक 09.02.2024 की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature valid
Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Head Of Office
Date: 2024.02.19 17:59:56 IST
Reason: Approved

आजादी का अमृत महोत्सव

जन आधार

क्रमांक : एफ17 (8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो./प्र.प्र./2020/984-94 दिनांक :20-02-2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत निम्न को प्रेषित है–

1. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव तथा पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त।
10. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ब्लॉक प्रोग्रामर।
11. आंतरिक–लेखा शाखा।

संयुक्त निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref 5692681

Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Head Of Office
Date: 2024.02.19 17:59:56 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय) विभाग

विषय :– प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यो के संबंध में दिशा निर्देश।
संन्दर्भ :– समसंख्यक अ.शा.टीप दिनांक 22.12.2023 एवं 23.01.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.शा. टीप दिनांक 22.12.2023 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यो के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे तथा अ.शा टीप दिनांक 23.01.2024 के द्वारा इन निर्देशों में शिथिलता प्रदान की गई थी।

वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के द्वारा राज्य के वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024–25 के लिए अनुदान मांगे दिनांक 08 फरवरी 2024 को पारित की जा चुकी है। अतः उक्त के दृष्टिगत इस विभाग की संदर्भित अ.शा.टीप दिनांक 22.12.2023 में वर्णित कार्यो के संबंध में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है :–

1. निम्न सूची के लिये विभागाध्यक्ष/सक्षम स्तर पर स्वीकृति जारी कर पूर्वानुसार ही कार्य किये जा सकते है :–
   - (i) रिपेयर/मेन्टेनेन्स से संबंधित कार्य
   - (ii) कार्यालय व्यय (OE) मद से किए जाने वाले व्यय (नवीन आईटम के अतिरिक्त)
   - (iii) 100% प्रतिशत CSS योजना के कार्य
   - (iv) ग्रामीण एवं शहरी स्वायत्तशासी संस्थाओं के राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/निजी आय से किये जाने वाले कार्य।
   - (v) विभाग की नियमित/परिचालन गतिविधियों से संबंधित टेण्डर तथा दर संविदाएँ।
   - (vi) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD) के कार्य
   - (vii) DMFT के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य ।
2. प्रशासनिक विभाग (विभागीय मंत्री महोदय) के अनुमोदन उपरान्त कराये जा सकने वाले कार्य:–
   - (i) सीएसएस योजना के वह कार्य जिनमें भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है
   - (ii) बाह्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित कार्य

उक्त से संबंधित कार्यो पर व्यय संशोधित बजट अनुमान 2023–24 / बजट अनुमान 2024–25 की अनुमत सीमा में ही करना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन कार्यो की पूर्व में ही वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाकर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

100 प्रतिशत राज्य निधि से स्वीकृत अन्य कार्यो के संबंध में अ.शा. टीप दिनांक 22.12.2023 की अक्षरशः पालना में कार्य की पुनः समीक्षा उपरान्त जनहित की दृष्टि से औचित्यपूर्ण/अत्यावश्यक होने पर प्रकरण पूर्ण विश्लेषण के साथ गुणावगुण के आधार पर संबंधित माननीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त शिथिलन हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किए जाऐंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15.12.2023 के उपरान्त वित्त विभाग के अनुमोदन से जारी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यो पर निर्देश दिनांक 22.12.2023 प्रभावी नहीं है।

(अखिल अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव ..... विभाग

अ.शा.टीप सं. एफ.10(41)वित्त/व्यय–4/2022
जयपुर, दिनांक :– 09.02.2024